न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 38/2025(GCMS 2025/236)
(RTI No. 212274052675409)

श्री भवानी सिंह राठौड़ निवासी 49, सिग्नेचर होम्स कॉलोनी, लालरपुरा रोड़, गांधी पथ, वेस्ट वैशाली एस्टेट, जयपुर– 302041

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर

07.07.2025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री भवानी सिंह राठौड़ स्वयं नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2024 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री भवानी सिंह राठौड ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

> खसरा नं. 212/381 व 212/382 चक 4 एसटीबी श्रीविजयनगर का नामान्तरण मेरे दादा श्री भैरू सिंह जी पुत्र जसवंत सिंह जी राजपुत निवासी बड़ाबार, भूतपूर्व जागीरदार के देहांत के पश्चात मेरे पिता श्री मान सिंह पुत्र भैरू सिंह के नाम तत्कालीन तहसीलदार नहर योजना श्री विजयनगर के कार्यालय के पत्र क्रमांक 1502 दिनांक 21.05.1984 की पालना में दिनांक 24.05.1984 को रिकॉर्ड में इन्द्राज किया था,

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:01:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इस पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि की आवश्यकता है। उपनिवेशन, तहसीलदार, नहर परियोजना, श्रीविजयनगर की पत्रावली में श्री हीर सिंह पुत्र भैरू सिंह, गुलाब कंवर पुत्री भैरू सिंह, गैंद कुंवर पुत्री भैरू सिंह, जतन कंवर पुत्री भैरू सिंह के हक त्याग संलग्न होने की संभावना है। जिनकी आवश्यकता है। सहायता के लिए नामांतरण दिनांक 24.05.1984 व पत्र क्रमांक 1502 दिनांक 21.05.1984 की प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर ने अपने पत्रांक रीडर/2025/493 दिनांक 07.07.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि आप द्वारा प्रकरण संख्या 38/2025 भवानी सिंह राठौड बनाम तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर में अपीलार्थी के अपील पत्र के संदर्भ में टिप्पणी मय कार्यालय का सम्बन्धित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था।

श्रीमानजी उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपनिवेशन विभाग से सम्बन्धित है। श्रीविजयनगर तहसील कार्यालय की स्थापना 28 फरवरी 1987 को हुई थी। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रिकॉर्ड 21.05.1984 का है। तहसील कार्यालय की स्थापना से पूर्व का रिकॉर्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 07.07.2025 23 16:01:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर ने अपने पत्रांक 493 दिनांक 07.07.2025 से अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर** द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सहायक **लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.[illegible].2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 16:01:42 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर